विषय :—केसों को मुख्य सचिव को भेजने का ढंग।

क्या वित्तायुक्त राजस्व तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के अशासकीय परिपत्र क्रमांक 4890-2 जी0एस0-I-70, दिनांक अप्रैल, 1970 (प्रति संलग्न) की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

उपरोक्त अनुदेशों में यह स्पष्ट किया गया था कि मुख्य सचिव की मन्त्रणा के लिए केस प्रशासकीय सचिव के माध्यम से भेजे जाया करें और निम्नलिखित बातों को ध्यान रखा जाया करे ।

1. हवाला के तौर पर दिए गए पत्र तथा नियमों की प्रतियां जरुरी लगाई जाएं ।

2. विशेष विषय (बिन्दु) जिन पर मुख्य सचिव की मन्त्रणा चाहिए, स्पष्ट रुप से लिए जाएं; तथा

3. केस भेजते समय नोट की दोहरी प्रति भेजी जाए ।

3. यह देखने में आया है कि कुछ विभागों द्वारा इन अनुदेशों का दृढ़ता से पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मामलों में निर्णय लेने में आवश्यक देरी हो जाती है। ऐसा न करने से ऐसी नीति सम्बन्धी मामलों में कमी एक उत्पन्न हो सकती है जब सम्बन्धित प्रशासकीय सचिव को अपना मत व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता व हो सकता है कि वे उपसचिव/अवर सचिव के मन्तव्यों से सहमत न हो किन्तु मुख्य सचिव की मन्त्रणा दिए जाने के पश्चात उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर ही न मिले । अतः उनसे पुनः अनुरोध है कि वे सुनिश्चित कर लें कि इन अनुदेशों की भविष्य में उल्लंघना न हो तथा कोई भी केस उप सचिव/अवर सचिव के माध्यम से न भेजे जाएं बल्कि प्रशासकीय सचिव के माध्यम से ही भेजे जाया करें । यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में ऐसे मामले जो प्रशासकीय सचिव के माध्यम से भेजे जाएंगे उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा और वे विभाग को वापिस लौटा दिए जाएंगे ।

हस्ता/-
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

वित्तायुक्त राजस्व तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशा0 क्रमांक 3023-1 जी0एस0 I–75, दिनांक 6 जून, 1975